राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : प0 9(36)राज–6 / 2020/31) जयपुर, दिनांकः– 04-06-2020

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप–धारा (1) सपठित धारा 260 उप–धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (1) एवं अधिसूचना कमांक प. 5 (21) राज–4 / 80 / 35 दिनांक 04.09.1982 यथा संशोधित अधिसूचनां कमांक प. 5 (21) राज–4 / 80 / 18 दिनांक 25.07.2003 के तहत नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां, कतिपय ग्राम पंचायतों में चुनाव सम्पन्न नही हो पाने के कारण एवं कोविड–19 महामारी के चलते केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के त्वरित कियान्वयन हेतु, ग्राम पंचायतों के साथ–साथ राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचनां दिनांक 31.07.2020 तक प्रभावशील रहेगी।

आज्ञा से,
04.6.20
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में असाधारण अंक दिनांक 04-06-20 प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

04.6.20
शासन उप सचिव